उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक/Ref. No.: 984/2021 दिनांक/Date : 30/9/2021

संवाद–161

विषयः–वाहन चालक पद के आवेदन के संबंध में बताई गयी कठिनाइयों के संबंध में।

प्रिय अभ्यर्थियों,

आप अवगत है कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वर्तमान में वाहन चालक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र आंमत्रित किये गये है।

वाहन चालक पद पर आवेदन में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा कठिनाईयां बताई गयी है। पहली कठिनाई यह बताई गयी है थी कि कुछ अभ्यर्थी जो राज्य के स्थायी निवासी है किंतु उन्होंने किसी कारणवश तत्समय 8वीं कक्षा राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की थी वे आवेदन नहीं कर पा रहें हैं। इस कठिनाई का ऑनलाइन आवेदन पत्र में निराकरण कर दिया गया है व अब सभी स्थायी निवासी जिन्होंने राज्य के बाहर से भी 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की है वे आवेदन कर सकते है।

एक अन्य कठिनाई यह है कि अभ्यर्थियों के पास उनकी 8वीं उत्तीर्ण की अंकतालिका या कोई अन्य प्रमाणक नहीं है। आवेदन पत्र में 8वीं कक्षा के लिए स्कूल का नाम व जिले का नाम भरना होगा व इससे आवेदन पत्र की औपचारिकता पूर्ण हो जायेगी किंतु अभिलेख सत्यापन के समय संबंधित विद्यालय से यह प्रमाण लेकर आना आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी ने संबंधित विद्यालय से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की है।

कुछ अभ्यर्थियों की यह कठिनाई है कि उन्होंने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण ही नहीं किया है, किंतु हाईस्कूल या अन्य उच्च अर्हता धारक हैं। इसके संबंध में यह स्पष्ट करना है कि यह एक स्थापित सिद्वान्त है कि किसी भी पद के लिए निर्धारित न्यूनतम 'अर्हता अभ्यर्थी के पास होना अनिवार्य है भले ही उन्होंने उससे उच्च अर्हता प्राप्त की हो। ऐसे में जो अभ्यर्थी 8वीं उत्तीर्ण नहीं है वे इस पद के लिए अर्ह/पात्र नहीं है।

आयोग की ओर से,

(हस्ताक्षर) 30/9/21

(संतोष बडोनी)

सचिव।